न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 44 / 2017 तारीख रजू 20.06.2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. प्रभूदयाल अग्रवाल पुत्र मौजीराम अग्रवाल (मौके पर विक्रेता) मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी मैन बाजार ग्राम पोस्ट जिला सवाई माधोपुर निवासी खिरनी रोड बौंली।
2. पवन कुमार गोयल पुत्र प्रभूदयाल अग्रवाल (फर्म मालिक) मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी मैन बाजार ग्राम पोस्ट बौंली जिला सवाई माधोपुर निवासी खिरनी रोड बौंली।
3. महेश चंद गोयल पुत्र प्रभूदयाल अग्रवाल मैसर्स महेश कुमार गोयल मैन बाजार ग्राम पोस्ट बौंली जिला सवाई माधोपुर निवासी खिरनी रोड बौंली।
4. मोहन कुमार जेडिया (नोमिनी) मैसर्स महान मिल्क फूड्स लिमिटेड 177, इन्दिरा कॉलोनी बनीपार्क जयपुर हाल निवासी मैसर्स महान मिल्क लिमिटेड आर0के0टावर 203,204 द्वितीय फलोर झोटवाडा रोड जयपुर।
5. मैसर्स महान मिल्क फूड्स लिमिटेड 177, इन्दिरा कॉलोनी बनीपार्क जयपुर हाल निवासी मैसर्स महान मिल्क लिमिटेड आर0के0टावर 203,204 द्वितीय फलोर झोटवाडा रोड जयपुर।

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 9/9/2021

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 27.07.2016 को समय

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:12:10 IST
Reason: SelfAttested

1.00 पी.एम.पर मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी मैन बाजार बौंली पर पहूँचा वहा पर प्रभूदयाल अग्रवाल पुत्र मौजीराम अग्रवाल (मौके पर विक्रेता) उपस्थित मिला को आवेदक द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया, दुकान में खाद्य पदार्थ घी महान 500 मिली.कार्टन पैक के 20 कार्टन पैक विक्रय हेतु रखे हुए थे के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं खाद्य पदार्थ घी (महान) 500 मिली. कार्टन पैक का क्रय बिल मांगा, विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र एवं खाद्य पदार्थ घी (महान) 500 मिली. कार्टन पैक के क्रमय बिल की प्रति बाद में पेश करने का निवेदन किया तत्पश्चात नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना की प्रति पेश की तत्पश्चात नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5ए, की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ घी (महान) 500 मिली. कार्टन पैक के 04 कार्टन पैक वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 720 रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये। यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ घी (महान) 500 मिली. कार्टन पैक के 04 पैक को मूल ही लेकर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक 977 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सील बंद नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता प्रभूदयाल ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक मो0असलम वार्ड बॉय द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/2217 दिनांक 22.08.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस 2321/एक्ट/2016/114 दिनांक 16.08.2016 के अनुसार विक्रेता

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:12:10 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (महान) मिसब्राण्ड पाया गया। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ घी (सिल्वर महान) का विक्रय एवं निमार्ण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a) खाद्य पदार्थ घी (महान) का विक्रय एव निमार्ण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा धारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा घी (महान) मिसब्राण्ड प्रकृति खाद्य पदार्थ का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है नमेना लेते समय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा ओर मानक अधिनियम 2006 एवं खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 की पालना नहीं की है तथा सारी कार्यवाही रंजिशवश तथा सरयकारी आंकडो को पूरा करने के उद्देश्य से की है। यह है कि नमूने का निमार्ण की तिथि 01.03.2016 अंकित है जिसके हिसाब से 12 माह उपयोग की अवधि होने के कारण दिनांक 01.03.2017 के बाद उक्त नमूने की उपयोग की अवधि निकल जाती है। इस प्रकार इस्तागासा एक्सपाईरी डेट के बाद पेश किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण के विरूद्व की गई सारी कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि निर्माता द्वारा विवादित महान घी के नमूने की पैकेजिंग पर खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग एण्ड लेवलिंग) रेगुलेशन्स 2011 के तहत आवश्यक सभी प्रकार की आवश्यक घोषणाऐं की गई है। इसी कारण खाद्य विश्लेषक ने रिपोर्ट में तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस्तेगासे व फर्द मौका रिपोर्ट में हय अंकित नहीं किया है कि सैम्पल (महान घी) के पैकेट पर किस तथ्य का अंकन नहीं किया गया है। इस कारण भी इस्तगासा खारिज किये जाने योग्य है। अन्त वकील अभियुक्त द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व की जा रही कार्यवाही को ड्रॉप कर प्रार्थीगण को दोषमुक्त करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस 1968/एक्ट/2015/1298 दिनांक 28.09.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच एवं विक्रय/निमार्ण किया गया खाद्य पदार्थ घी (महान) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है। जहॉ तक वकील अभियुक्त द्वारा बहस में यह तर्क दिया है कि प्रकरण में नमूना सैम्पल दिनांक 27.07.2016 को लिया गया है परन्तु

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:12:10 IST
Reason: SelfAttested

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल लेने की दिनांक से 12 माह के अन्दर इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर 12 माह की अवधि पार हो जाने के पश्चात पेश किया इस कारण इस्तगासा चलने योग्य नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार महान घी का सैम्पल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 27.07.2016 को लिया है तथा प्रकरण अदालत हाजा में दिनांक 04.09.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया है। प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधेपुर द्वारा इस्तागासा 12 माह की अवधि के हीं अन्दर पेश किया है भूलवश इस्तागासा दर्ज करने में अदालत हाजा में समय लगजाने के कारण इस्तागासा अवधिपार नहीं माना जा सकता।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चुकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है।

अतः अभियुक्त को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के खाद्य पदार्थ घी (महान) का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 ललायत 5 पर क्रमशः 5000/– हजार रूपये (पांच हजार रूपये) की शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 9/9/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:12:10 IST
Reason: SelfAttested